महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान
(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार)
वेदविद्यामार्ग, चिन्तामनगणेश,पो.ऑ. जवासिया,उज्जैन– 456006 (म.प्र.)
Maharshi SandipaniRashtriyaVedavidyaPratishthan
(Ministry of Education, Govt. of India)
Ved Vidya Marg, Chintaman Ganesh, P.O.Jawasia, Ujjain – 456006 (M.P)

पत्र सं. 5-74/2020(शै.)मसारावेविप्र./ 1515 दिनांक: 2-31/8/2022

सेवा में,

प्रबंधक,

श्री भगवान स्वामी भाष्करानन्द देवजू महाराज

संस्कृत वेद पाठशाला, शोभन आश्रम,

ग्राम व पोस्ट-ऐंचवारा चित्रकूट (उ.प्र.)

विषय:- उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं अध्यापको को जारी मानदेय प्रपत्र प्राप्त न होने के संदर्भ में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रतिष्ठान द्वारा आपके वेदपाठशाला को वित्तीय वर्ष 2020-21 का नियमानुसार अनुदान जारी किया गया जिसका उपयोगिता प्रमाण पत्र आज तक प्राप्त नहीं हुआ है। प्रतिष्ठान द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 का वर्ष वार जारी अनुदान के बाद अग्रिम वर्ष 2021-22 में अप्रैल से जून माह के मध्य उपयोगिता प्रमाण पत्र 2020-21 का प्राप्त हो जाना चाहिए था। आपके द्वारा अध्यापकों का मानदेय समय पर जारी नहीं किया गया तथा अध्यापकों को मानदेय जारी के प्रमाण के रुप में बैंक स्टेटमेंट अप्राप्त है। (पासबुक की कापी अप्राप्त हैं।) आपके वेदाध्यापक श्री जयदीप तिवारी ने जो लेखे प्रतिष्ठान को दिनांक: 29.07.2022 को उपलब्ध कराएं हैं उसमें उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं है। लेखों के साथ सी.ए. द्वारा कवरिंग पत्र संलग्न नहीं है साथ ही अध्यापको के जारी मानदेय के प्रपत्र भी अप्राप्त है तथा प्रतिष्ठान में दिनांक 29.07.2022 को उपलब्ध कराए गये लेखों में जुलाई माह की तिथि अंकित नहीं है।

सम्पूर्ण वित्तीय वर्ष 2020-21 तथा वित्तीय वर्ष 2021-22 जून तक का प्रेषित अनुदान का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित न करने एवं प्रतिष्ठान द्वारा जारी अनुदान में से पाठशाला द्वारा वित्तपौषित अध्यापको को समय से मानदेय जारी न करने के कारण नियमानुसार पाठशाला को अनुदान नहीं दिया जा सकता है। प्रतिष्ठान द्वारा प्रत्येक वर्ष अनुदान आवेदन प्राप्त होने के बाद ही अनुदान स्वीकृत किया जाता है क्योंकि यह शाश्वत अथवा निरन्तर अनुदान नहीं है। आपने पूर्व वर्ष के उपयोगिता एवं वेदाध्यापकों को जारी अनुदान का विवरण प्रतिष्ठान को नही भेजा अतः प्रतिष्ठान द्वारा आपको अनुदान नहीं दिया जा सकता है। पाठशाला में अध्ययन कर रहे छात्र आपके विद्यालय के हैं यदि आप विद्यालय चलाने में असमर्थ है तो अध्ययन कर रहे छात्रों को आपके सन्निकट पाठशाला में समायोजित करने की जिम्मेदारी आपकी है। पाठशाला के छात्र चाहें तो बोर्ड की परीक्षा में स्वतन्त्र अभ्यर्थी के रुप में परीक्षा दे सकते हैं। वित्तीय वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में आपके विद्यालय के किसी नवीन छात्र को प्रतिष्ठान ने प्रवेश की स्वीकृति नहीं दी है। यदि आपने प्रवेश लिया है इसकी जिम्मेदारी आपकी है।

अत: आपसे निवेदन है कि सी.ए. द्वारा प्रमाणित वित्तीय वर्ष 2020-21 तथा 2021-22 का उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ आनुषंगिक व्यय राशि का व्यय विवरण एवं प्रतिष्ठान द्वारा जारी मानदेय राशि अध्यापको के खाते में अविलम्ब जारी कर (मानदेय जारी की बैंक पासबुक की कापी) प्रतिष्ठान को प्रेषित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डॉ. अनूप कुमार मिश्र)

अनुभाग अधिकारी (प्र.)

Tele : 0734-2502266, 2502254, 2502255 Fax : 0734-2502266
E-mail :msrvvpujn@gmail.com Website : msrvvp.ac.in